रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/आषाढ़ 21, 1935
No. 351] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASADHA 21, 1935

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई,2013

सा.का.नि. 484(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत खोज खंड भी है (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1967 और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (समूह 'ग' अन्नुसचिवीय पद) भर्ती नियम 1968 को जहां तक उनका संबंध खान मंत्रालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सर्वेक्षण शाखा के समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों से हैं। उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक सर्वेक्षण अधिकारी और ज्येष्ठ सर्वेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण शाखा समूह **'ख' पद, भर्ती नियम, 2013** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 . **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होगें।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगें जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

.4**भर्ती की पद्धति, आयु सीमाअर्हताएं आदि ,.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 है ।में विनिर्दिष्ट 13

.5 **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. पदधारियों का प्रशिक्षण.—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पहली नियुक्ति और पश्चात्वर्ती प्रोन्नति पर जिसके अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संगठन की पुनर्संरचना प्रशासनिक कारणों के कारण अन्य विधा या शाखा में पुनर्नियोजन भी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित अधिष्ठापन या पुन: अभिविन्यास प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.सहायक सर्वेक्षण अधिकारी	38* *(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; 9,300-34,800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रू.	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
<u>30 वर्ष से अधिक नहीं।</u> (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या खनन इंजीनियरी में बी.ई. अथवा एएमआईई या बी टेक की डिग्री। (2) किसी रजिट्रीकृत खनन और बांध इंजीनियरी या सर्वेक्षण स्थल कार्य में टोटल स्टेशन, जीपीएस, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, चंक्रम सर्वेक्षण, समतलन, कंटूरिंग, कंप्यूटर साफ्वेयर सहित में सर्वेक्षण का दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण** 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** 2: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
10	**11**
पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, और (ii) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2 ;9 ,34-300,8 .रू 00+ ग्रेड वेतन 4200रू के . वर्ष सर्वेक्षक जिसने उस श्रेणी में पांचष्ठवेतनमान में ऐसा ज्ये नियमित सेवा और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित किए जाने वाले एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। **टिप्पण :1** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण: 2-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा,जनवरी 01 ,से पहले या 2006 य वेतन आयोग की सिफारिशों पर उस तारीख से जिससे छठे केन्द्री र किया गया हैचना का विस्ताआधारित पुनरीक्षित वेतन संर,नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : .1निदेशक ,भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्षअध्य - .2अधीक्षण भूविज्ञानी-, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सदस्य - 3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक और प्रशा.), भारतीय भूवैज्ञानिक **सर्वेक्षण—सदस्य**	सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5
2.ज्येष्ठ सर्वेक्षक	281* *(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; 9,300-34,800 रू. +ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं होता

6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थिओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड/संस्थान से सर्वेक्षण, खनन या सिविल इंजीनियरी त्रिवर्षीय डिप्लोमा या (iii) सर्वेक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव सहित खान सुरक्षा निदेशालय से सर्वेक्षक सक्षमता का प्रमाणपत्र। **टिप्पण 1**- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	आयु: नही शैक्षिक अर्हता: नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष

10	11
सीधी भर्ती **टिप्पण:** पदधारियों की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी :— (क) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है । **टिप्पण : तारीख** 25.10.2011 के केबिनेट अनुमोदन से पहले की रिक्तियां वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू.+ ग्रेड वेतन 2400 रू. में सर्वेक्षक के पदों को विद्यमान पदधारियों से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता ।

12	13
पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अधीक्षण भू-विज्ञानी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण —अध्यक्ष 2.उप निदेशक(कार्मिक और प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण —सदस्य 3. सर्वेक्षण अधिकारी , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा-एम-2011/5/3 .सं .II]

एस. बी. डोवल, उप सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2013.

G.S.R. 484(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Geological Survey of India including Exploration Wing (Group "A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1967 and Geological Survey of India (Group 'C' Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to Group 'B' and Group 'C' posts of Survey Stream in the Ministry of Mines, Geological Survey of India, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Survey Officer and Senior Surveyor in the Ministry of mines, the Geological Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Mines, the Geological Survey of India, Survey Stream **,** Group-'B' posts, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .- The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification .— No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. Training of the incumbents.— Every appointee , on his 1st appointment in Geological Survey of India and subsequent promotion including re-deployment to other discipline or stream on account of administrative reasons or re-structuring of organisation of Geological Survey of India, shall have to complete the induction or re-orientation training conducted by Geological Survey of India Training Institute.

Name of post	Number of post	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Survey Officer	38* [2013] *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group B Gazetted non- Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4600	Selection.	Not exceeding thirty years. (Relaxablefor Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal	**1.** Bachelor of Engineering or Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE) or B.Tech Degree in Civil or Mining Engineering from a recognised University; and 2. Two years experience in surveying including Total Station, GPS, Theodolite Surveying, traversing, leveling, contouring, Computer Software under registered engineering or surveying establishment, mine and dam. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification

					Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age:- No Educational Qualification:- No	Two years for direct recruits.	(i) Twenty five per-cent by direct recruitment, and (ii) seventy five per-cent by promotion	**Promotion:** Senior Surveyor in the pay scale of pay band 2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200 with five years regular service in the grade and certificate of completion of one year in-service training programme conducted by Geological Survey of India Training Institute. **Note 1** :Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors	Group 'B' Departmental Promotion Committee, for promotion and confirmation consisting of **:—** 1.Director , Geological Survey of India – **Chairman** 2**.** Superintending Geologist, Geological Survey of India – **Member** 3. Joint Director (Personnel and Administration) , Geological Survey of India – **Member**	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

			who have already completed such qualifying / eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior Surveyor	281* [2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group B non-Gazetted non-Ministerial	Pay band 2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) 12th Pass (10 + 2) from a recognised Board or equivalent; and (ii) three years Diploma in Surveying, Mining or Civil Engineering from recognised University/ Board/ Institute; **or** (iii) Surveyor's Certificate of competency from Directorate General of Mines Safety (DGMS) with two years experience in surveying. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if any at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Education Qualification: No.	Two years for direct recruits.	Direct recruitment. Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government ;- (A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department and possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under Column 7. **Note** : The existing incumbents in the posts of Surveyor in pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400 will be promoted against the vacancies prior to the Cabinet approval on 25th October, 2011.	Not applicable	**Group 'B' Departmental Promotion Committee, for confirmation consisting of :—** 1. Superintending Geologist, Geological Survey of India – Chairman 2. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member 3. Survey Officer, Geological Survey of India – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 3/5/2011-M.II]

S. B. DOVAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054